

कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्लरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-04.07.2024

विषय:- "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर में हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 20,000/- रु0 अर्थदण्ड।

थाना शिवपुर, किमश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-179/2019 धारा 302 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल मौर्य पुत्र हरिशचन्द्र मौर्य निवासी भगतपुर बाई पास रोड थाना शिवपुर किमश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटिरंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-04.07.2024 को माननीय न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अनिल मौर्य उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 में सश्रम आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, कमिश्लरेट वाराणसी।